













# अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आज

हार हो जाती है जब मान ली जाती है, जीत तब होती है जब ठान ली जाती है यह शेर उन महिलाओं पर एकदम फिट बैठता है, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वर्तमान समय में महिलाएं न सिर्फ राष्ट्र बल्कि समाज में भी पुरुषों जितनी ही सक्षम हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि महिलाओं को आज भी पुरुषों जितना मान-सम्मान और अवसर नहीं मिलता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में न पता होना। एक ही क्षेत्र में समान काम करने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों जितना वेतन नहीं मिलता है। आपको बता दें कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनियाभर में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महिला दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर सम्मान, कार्य के समान अवसर प्रदान करने के साथ ही अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना है।

## अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास

हर साल 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साल 1909 से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल, साल 1908 में अमेरिका में मजदूर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में करीब 15 हजार महिलाएं भी शामिल हुई थीं, इन महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर अपने मतदान के अधिकार की मांग की थी। साथ ही महिलाओं की मांग थी कि नौकरी के घंटे कम करने के साथ ही उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जब कामकाजी महिलाओं के आंदोलन को आवाज सरकार तक पहुंची, तो इस आंदोलन के एक साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने का ऐलान किया।

## वर्षों मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

वहीं हर साल 08 मार्च को महिला दिवस मनाए जाने की एक खास वजह यह भी है कि कामकाजी महिलाओं ने अमेरिका में 08 मार्च को अपने अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन किया था। जिसके बाद इस दिन सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। वहीं फिर साल 1917 में रूस की महिलाओं ने पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रेड और पीस के लिए हड़ताल किया। फिर सम्राट निकोलस ने अपने पद का त्याग किया और इस तरह से महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। वहीं कुछ दिन बाद 08 मार्च को यूरोप की महिलाएं ने भी पीस ऐक्टिविस्ट्स का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली। इस वजह से 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने साल 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी।

## महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं

हम विश्व में लगातार कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने आ रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए प्रेरित इस दिन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान बनाना है। इसलिए इस दिन को महिलाओं के आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नारी मानव जाति के लिए जन्म का रूप है। कहा जाए तो जन्मी ही नारी है और नारी ही जन्मी है। नारी शक्ति या मातृशक्ति का इस संसार को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है। बिना नारी के इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर नारी नहीं होगी तो इस संसार का विकास नहीं हो पायेगा। नारी ही एक पुरुष को जन्म देती है, तभी नारी की सहन करने की शक्ति यानी सहनशक्ति का अहसास होता है कि वह इस संसार में कितनी मजबूत शक्ति है। आज उसी ही मजबूत नारी शक्ति पर कुछ मानसिक रूप से विचित्र पुरुषों (ऐसे पुरुष जो नारी शक्ति को अपने उपभोग की वस्तु समझते हैं) द्वारा बलात्कार जैसे घटनाएं होती हैं। ऐसे पुरुषों द्वारा नारी को शारीरिक शोषण द्वारा हमेशा लज्जित किया जाता है, यह चीज समस्त मानवजाति को शर्मसार करती है। कुछ पुरुषों के ऐसे कृत्यों द्वारा बाकी के साफ-सुथरी स्त्रियों के पुरुषों को भी शर्मसार होना पड़ता है। आज जरूरत है महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ बलात्कार जैसे होनी वाली घटनाओं पर लगातार लगाई जाए। ये तभी हो सकता है जब बलात्कार जैसे कृत्यों के खिलाफ मानव जाति एकजुट होकर फैसला ले और जो लोग दोषी पुरुषों का साथ देते हैं ऐसे लोगों का भी समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करे। इसके साथ ही आज जरूरत है कि बलात्कार जैसे कृत्यों के खिलाफ सरकारों एक कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें और बलात्कार जैसे मामले को फास्टट्रैक कोर्ट द्वारा त्वरित कार्यवाही हो। जिससे कि दूसरे लोग भी ऐसे कृत्य करने से पहले ही सार बचें। तभी मानव जाति और समाज के स्तर को उठाया जा सकता है।

आज अपने समाज में नारी के स्तर को उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना, बिना इसके महिला सशक्तिकरण असंभव है। आज हर महिला समाज में धार्मिक रूढ़ियों, पुराने नियम कानून में अपने आप को बंधा पाती है। पर अब वक्त है कि हर महिला तमाम रूढ़ियों से खुद को मुक्त करे। प्रकृति ने औरतों को खूबसूरती ही नहीं, दृढ़ता भी दी है। प्रजनन क्षमता भी सिर्फ उसी को हासिल है। भारतीय समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य दिन-रात किए जा रहे हैं। पर हर कन्या में एक मां दुर्गा छिपी होती है। यह हैरत की बात है कि दुर्गा की पूजा करने वाला इंसान दुर्गा की प्रतिरूप नवजात कन्या का गर्भ में बंध कर देता है। इसमें बाप, परिवार के साथ समाज भी सहयोग देता हैं। आज जरूरत है कि देश में बच्चियों को हम वही आत्मविश्वास और हिम्मत दें जो लड़कों को देते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसलिए जरूरी है कि इस धरती पर कन्या को भी बराबर का सम्मान मिले। साथ ही उसकी गरिमा भी बनी रहे। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और हर स्त्री में यह शक्ति जगाए ताकि वह हर विकृत मानसिकता का सामना पूरे साहस और धीरज के साथ कर सके। एक नारी के बिना किसी भी व्यक्ति जीवन सृजित नहीं हो सकता है। जिस परिवार में महिला नहीं होती, वहां पुरुष न तो अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा पाते हैं और ना ही लंबे समय तक जीते हैं। वहीं जिन परिवारों में महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, वहां महिलाएं हर चुनौती, हर जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाती हैं और परिवार खुशहाल रहता है। अगर मजबूती की बात की जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि वो पुरुषों को जन्म देती हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भारत के मौलिक के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी को अनुच्छेद 14-18 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। जो कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के तहत होने वाली नियुक्तियों और रोजगार के संबंध में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिये गया समानता का अधिकार भारतीय राज्य को किसी के भी खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

## महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च 1911 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। लैंगिक समानता हासिल करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भलाई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलायें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है तथा विकास में भी बराबर की भागीदार हैं। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी हैं। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है। भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करें तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही हैं। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। उससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगी। हमारे देश में महिलाओं को तो अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाने लगा है। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम एक तरफ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आये दिन हमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार होने की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं से महिला सशक्तिकरण के अभियान को धक्का लगता हैं। भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। इससे पहले 2021 में 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में महिला अपराध के सिलसिले में हर घंटे लगभग 51 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक प्रति एक लाख आबादी पर महिला अपराध की दर 66.4 फीसदी रिकॉर्ड की गई। ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 फीसदी रही। एनसीआरबी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 31.4 फीसदी जुर्म पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता किए जाने के थे। इसके बाद अपहरण के 19.2 फीसदी, शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के 18.7 फीसदी और दुष्कर्म के 7.1 फीसदी मामले रहे। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए उनमें से 2,23,635 यानी 50 फीसदी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 2021 में महिला अपराध के 56,083 और 2020 में 49,385 मामले दर्ज किए थे। इसके बाद राजस्थान (40,738 और 34,535), महाराष्ट्र (39,526 और 31,954), पश्चिम बंगाल (35,884 और 36,439) और मध्य प्रदेश (30,673 और 25,640) रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर से पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिलीं। इसमें 16 हजार से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं। आंकड़े हैरान कर देने वाली हैं। क्योंकि आयोग में ये शिकायत दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,411 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 1,343, बिहार में 1,312 और मध्य प्रदेश में 1,165 इतने मामले दर्ज किए गए हैं। 2023 के 12 महीने बाद जारी किए गए इस रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति ही अपराध में दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे अपराध दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की यह रिपोर्ट महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता दिखाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में यौन उत्पीड़न के 805 मामले, साइबर अपराध के 605 मामले, पीछा करने की 472 मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ 409 शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल 2023 में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के 1,537

मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत 8,540, घरेलू हिंसा के 6,274, दहेज उत्पीड़न के 4,797, छेड़छाड़ के 2,349 और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के 1,618 मामले दर्ज किए गए। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2022 की तुलना में कम हुए हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,864 मामले दर्ज किए गए थे। मुद्दा 2023 में यह संख्या घटकर 28,278 हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब 30,864 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो 2014 के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किये हैं। आज भारत में महिलायें पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित हैं। भारत में वर्षों से महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून बने हैं। इसमें हिंदू विधो रिमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मेटरनिटी बेंनिफिट एक्ट 1861, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिज वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हर्षासमेंट ऑफ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर 2015 को राज्य सभा ने जूवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अंतर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है। देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लड़ाई में महिलाओं का साथ देना होगा तभी देश की मातृ शक्ति सर उठ कर शान से चल सकेगी। अब महिलाओं को बदलने का बीड़ा स्वयं आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इन परम्पराओं को बदलने का बीड़ा स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा। तभी समाज में उनके प्रति सोच बदल पायेगी।

## अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कविता

### नारी से रिश्ते सजे

नारी का सम्मान ही, पौरुषता की आन,  
नारी की अवहेलना, नारी का अपमान।

मां-बेटी-पत्नी-बहन, नारी रूप हजार,  
नारी से रिश्ते सजे, नारी से परिवार।

नारी बीज उगात है, नारी धरती रूप,  
नारी जग सृजित करे, धर-धर रूप अनूप।

नारी जीवन से भरो, नारी वृक्ष समान,  
जीवन का पालन करे, नारी है भगवान।

नारी में जो निहित है, नारी शुद्ध विवेक,  
नारी मन निर्मल करे, हर लेती अविवेक।

पिया संग अनुगामिनी, ले हाथों में हाथ,  
सात जन्म की कसम, ले सदा निभाती साथ।

हर युग में नारी बनी, बलिदानों की आन,  
खुद को अर्पित कर दिया, कर सबका उथान।

नारी परिवर्तन करे, करती प्रश्न दूर,  
जीवन को सुरक्षित करे, प्रेम करे भरपूर।

प्रेम लुटा तन-मन दिया, करती है बलिदान,  
ममता की वर्षा करे, नारी घर का मान।

मीरा, सची, सुलोचना, राधा, सीता नाम,  
दुर्गा, काली, द्रौपदी, अनुसुइया सुख धाम।

मर्यादा गहना बने, सजती नारी देह,  
संस्कार को पहनकर, स्वर्गिन बनता रोह।



